कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः— श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :— **सर्वश्री मधू इण्डिया लि0, मधु पुरम (हीरपुर)पो0 अटरिया, सीतापुर ।**

प्रा0प0सं0— **426/2008**

प्रार्थी की ओर से— **श्री रमेश लाल, जनरल मैनेजर ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा—59 के अर्न्तगतनिर्णय

।— प्रार्थी के द्वारा दिनांक 16—।2—2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा—59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा **Complete blinds** की बिक्री पर कर की स्थिति की जानकारी चाही गयी है।

2— व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड—। वाणिज्य कर, लखनऊ जोन, लखनऊ से पत्र संख्या—1577दिनांक 16—।2—08 आख्या मांगी गयी जो प्राप्त नहीं हुयी है।

3— धारा—59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री रमेश लाल, जनरल मैनेजर उपस्थित हुयें । व्यापारी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा चंचमत इितपबएंतजपपिबपंस समंजीमतए चवसलमेजमत लंतद, रनजमए ूवक दक इंउइव आदि की खरीद कर इसपदके का निर्माण किया जाता है तथा इन ब्उचसमजम इसपदके को विन्डोज में परदे की तरह लगाया जाता है। व्यापारी द्वारा यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत जारी अनुसुची—। से किसी अनुसुची में उक्त का नाम नहीं है। अतः इस पर कर की देयता की जानकारी चाही गयी है।

4— मेरे द्वारा अभिलेखों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं पूर्व में पारित आदेशो का परीक्षण किया गया । व्यापारी द्वारा प्रस्तुत इसपदक को देखा गया । व्यापारी द्वारा जो इसपदके का निर्माण दिखाया गया है वह वैट अधिनियम की अनुसुची —1, 2, 3, 4 में वर्गीकृत नहीं किया गया है । उपरोक्तानुसार उपरोक्त वस्तुयें अनुसुची—5 के अन्तर्गत आने के कारण 12.5 : की दर से करदेयता होगी।

5— प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा—59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6— इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

दिनांकः: 23 जनवरी, 2009

ह0/23—।—09

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।